कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः पीएमजीएसवाई/2019–20/डी– 4318 दिनांकः– 23/04/19

परिपत्र संख्या 1/2019–20

अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा हाल ही कुछ जिलो में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़को का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन सड़को का रखरखाव डी.एल.पी. अवधि में उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई योजनान्तर्गत निर्मित सड़को का रखरखाव अनुबंध में सम्मिलित है एवं इसके लिए संवेदक को किए जाने वाला भुगतान भी निर्धारित है। अतः अनुबन्ध के अनुसार रखरखाव नहीं करने पर संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

रखरखाव अवधि में इन सड़को पर इस कार्यालय के पत्रांक एसई(पीएमजीएसवाई)/परिपत्र/2006/5 दिनांक 04.05.2006 के अनुसार मरम्मत कार्य नार्म्स के क्रम में निम्न नार्म्स के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार निरीक्षण किया जाना हैः–

कनिष्ठ अभियन्ता		सहायक अभियन्ता		अधिशाषी अभियन्ता		अधीक्षण अभियन्ता / अति. मुख्य अभियन्ता
विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष	सामान्य	विशेष
माह में एक बार	प्रत्येक सप्ताह	1. मानसून के पहले और बाद में 2. बारिश के दौरान दो बार	निम्न माह में एक बार जनवरी मार्च मई जुलाई सितम्बर नवम्बर	मानसून के पहले और बाद में	वर्ष में दो बार माह अप्रेल एवं अक्टूम्बर में	वर्ष में एक बार मानसून के पश्चात्

निरीक्षण उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा Maintenance Register में निरीक्षण का इन्द्राज आवश्यक है। मरम्मत के बिलों के लिए Authorisation की मांग करते समय अन्य वाछिंत दस्तावेजो के अतिरिक्त Maintenance Register की प्रति आवश्यक रूप से पस्तुत की जावे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित PIU इन्चार्ज द्वारा संलग्न किया जावे कि उनके द्वारा व्यक्तिशः यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि प्रस्तावित सड़को पर अनुबन्ध एवं समय–समय पर जारी परिपत्रो/निर्देशों के अनुरूप मरम्मत/रखरखाव कार्य करवा लिया गया है।

प्रस्तावित सड़को पर मरम्मत/रखरखाव अनुबन्ध के अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में गलत भुगतान हेतु सम्बन्धित PIU इन्चार्ज व्यक्तिशः जिम्मेवार होगें।

23/4/19

(सुनील कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग- .... (समस्त).
5. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत- .... (समस्त).
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- .... (समस्त).

23/4/19.

मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

Scanned by CamScanner